न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 24/2022

रत्तीराम पुत्र जवाली राम जाति मीणा निवासी अकबरपुर तहसील महवा जिला दौसा
...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा
..रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्रशासनिक पत्र जिला कलक्टर दौसा दिनांक 24.7.2002

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 की ओर से

दायर दिनांक 22.9.2022

दिनांक 09.11.2022

:: निर्णय ::

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा ने पत्र कमांकः राजस्व/स्वा0कक्ष 681(41) 2002/6772 दिनांक 24.7.2002 के द्वारा अपीलांट का ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के खसरा नंबर 32 के 0.65 है.भूमि के नियमन का प्रकरण खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर दौसा के प्रश्नगत पत्र से व्यथित होकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील दायर की गई। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 8.2.2008 के द्वारा जिला कलेक्टर दौसा के पत्र दिनांक 24.7.2002 को अपास्त किया जाकर बाद सुनवाई निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट को तलब किया गया। राजस्व शाखा कलक्ट्रेट दौसा की मूल पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस में दलील है कि जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर या साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सामान्य न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा संवत 2021 से पूर्व से अपने पिता के समय से ही लगातार चला आ रहा है। विवादित भूमि पर अपीलांट ने हजारों की संख्या में पेड लगा रखे है जिससे अपीलांट का कब्जा स्वयं सिद्ध है। उक्त भूमि में काफी वृक्ष तो करीब 40 वर्ष पुराने है। इस भूमि पर अपीलांट के आम, नीबू व पपीता इत्यादि के लगे हुए है। जिला कलक्टर दौसा को विवादित आराजी के नियमन का अधिकार होते हुए भी अपने अधिकारों को उप जिला कलक्टर महवा को को डेलीगेट [illegible] है। उप जिला कलक्टर महवा को कानूनन जांच करने का कोई अधिकार न[illegible] है [illegible]न्हें जांच करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत क[illegible] [illegible] [illegible]ना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का [illegible] [illegible] [illegible] सरकार की [illegible] रह रही है कि राजकीय भूमि पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से [illegible] व्यक्ति को वृक्ष ल[illegible]हिए तथा उन वृक्षों पर स्वामित्व व आधिपत्य वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति का होगा। किन्तु इस प्रकरण में उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त भूमि को नियमन करने हेतु अपीलांट के पुराने कब्जे के आधार पर नायब तहसीलदार महवा ने नियमन की सिफारिश की है, उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....2 पर

जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलक्टर दौसा ने किस दिनांक को नियमन प्रकरण खारिज किया है, यह स्पष्ट नहीं होने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलांट को जो आदेश दिया गया है, वह दिनांक 24.7.2002 का है। यह प्रशासनिक पत्र की श्रेणी में आता है न कि निर्णय की श्रेणी में। खसरा नंबर 32 रकबा 8.39है. के मौके पर उक्त भूमि में सडक बनी हुई है, उक्त भूमि में से 1.50है. भूमि को दिनांक 29.1.2002 को आबादी में सैट अपार्ट कर दिया। उक्त आबादी सैट अपार्ट आदेश को अपील में भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा निरस्त कर रिमांड किया गया। उक्त रिमांड प्रकरण पर न्यायालय श्रीमानजी के द्वारा पुनः जांच कर दिनांक 23.9.2022 को आबादी सैट अपार्ट आदेश को पुनः बहाल कर दिया। श्रीमानजी ने उक्त भूमि खसरा नंबर 32 में से 0.80है. भूमि राजकीय प्राथमिक विधालय अकबरपुर हेतु पूर्व में सैट अपार्ट कर रखी है जिसमें स्कूल बनी हुई है। उक्त खसरा नंबर 32 से बने खसरा नबर 32/1 में से श्रीमनाजी के द्वारा दिनांक 8.6.2022 को 1.30है. भूमि राजकीय कन्या महाविधालय के लिए सैट अपार्ट कर रखी है। उक्त चरागाह भूमि में से 2 बीघा भूमि पर वर्तमान सरपंच के द्वारा कब्जा करके अपनी भूमि में मिला रखा है तथा रोड के पास वाली उक्त चरागाह भूमि पर अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण करके दुकान मकानात बना रखे हैं। उक्त भूमि में मौके पर एक इंच भूमि भी खाली नहीं है। कानूनन पूर्व में श्रीमानजी सैटअपार्ट भूमि के आदेश को निरस्त नहीं हो जाये तब तक उक्त स्कूल को सैट अपार्ट भूमि को कॉलेज के लिए सैट अपार्ट नहीं कर सकते है। लेकिन पटवारी हल्का एवं तहसीलदार व उपखंड अधिकारी महवा ने श्रीमानजी को मुगालते में रखकर स्कूल को सैट अपार्ट भूमि में से 0.45है. भूमि और प्रार्थी के कब्जे की भूमि जिसको पूर्व में आबादी हेतु आबादी हेतु सैट अपार्ट किया गया उक्त भूमि को चरागाह बताकर एवं श्रीमानजी को झूंठी रिपोर्ट देकर उक्त भूमि में से 1.30है. भूमि को दिनांक 9.6.2022 को कॉलेज के लिए सैट अपार्ट करवा दिया। जबकि प्रश्नगत 0.65हैं. भूमि पर प्रार्थी की बगीची लगी हुई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम अकबरपुर स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 में से 0.65हैं. भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अपीलांट ने दिनांक 28.2.2002 को कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा स्थित भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39है. में से 0.65है. भूमि को पूराने कब्जे के आधार पर नियमन कराने हेतु इस्तदुआ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र एवं पत्रादि की छाया प्रति उप जिला कलक्टर महवा को भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। उप जिला कलक्टर महवा द्वारा दिनांक 11.7.2002 को पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी का कब्जा 10 वर्षों से ज्यादा नहीं रहा है। इसलिए नियमन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी का नियमन प्रकरण खारिज किया जाकर इस आशय की सूचना प्रार्थी रत्तीराम पुत्र जवालीराम मीना निवासी अकबरपुर को जरिये पत्र कमांकः 6772 दिनांक 24.7.2002 के द्वारा प्रेषित की गई है। उक्त प्रशासनिक पत्र को आधार बनाकर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें उक्त पत्र दिनांक 24.7.2002 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का प्रकरण रिमांड किया गया है। तहसीलदार महवा द्वारा भी रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि पर कोई बगीची नहीं होना बताया गया है, साथ ही 0.65है. भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया है। प्रार्थी का 10 वर्ष से अधिक समय से कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:04:21 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर....3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 28.2.2002 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अकबरपुर तहसील महवा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 8.39हैं. में से 0.65है. भूमि को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखंड अधिकारी महवा से नियमन बाबत टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखंड अधिकारी महवा ने प्रार्थी का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर 10 वर्ष से अधिक नहीं होना व्यक्त किया जो कि नियमन योग्य नहीं माना गया। जिस पर प्रार्थी का नियमन प्रकरण खारिज किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया।उक्त नियमन प्रकरण खारिज होने से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलांट ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय आर.ए.ए. जयपुर ने मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की जाकर तथा प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया गया। प्रार्थी अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आया। तहसीलदार महवा से प्रार्थी द्वारा जिस भूमि का नियमन चाहा गया उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार महवा ने रिपोर्ट दिनांक 7.11.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि का नियमन चाहा गया है उसमें से 0.45है. भूमि को कन्या महाविधालय महवा हेतु आवंटित की जा चुकी है तथा शेष 0.20है. भूमि को भी राजकीय कन्या महाविधालय महवा को आबंटित है जो कि चरागाह भूमि ख0नं0 336/2 में से कन्या महाविधालय को आवंटित हुई है। 0.65है. भूमि में कोई अतिकमण नहीं है तथा मौके पर कोई बगीची नहीं है। भूमि का आवंटन राजकीय महाविधालय महवा हेतु किया गया है जो कि राजकीय कार्यालय है। साथ ही भूमि का नियमन किया जाना उचित नहीं बताया है। इस प्रकार वर्तमान में मौके पर कोई बगीची नहीं होना व नियमन किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। साथ ही प्रश्नगत भूमि की किस्म चरागाह होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जो कि नियमन योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बैंच द्वारा डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन नंबर 326/2022 उनवानी श्री राजस्थान गौ सेवा समिति बनाम राजस्थान राज्य में यह आदेश पारित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में गोचर के रूप में दर्ज भूमि का नियमन नहीं किया जावे। हम प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा जारी प्रशासनिक पत्र 24.7.2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति राजस्व शाखा कलैक्ट्रेट दौसा को मूल अभिलेख के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:04:21 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 सितम्बर 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलक्टर,दौसा